संख्या- 2404 /लो.नि. 2/03-2 [मु.मं.घो.] /2003

प्रेषक,

टी.के.पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून,दिनांक 15 दिसम्बर,2003

विषय:- वित्तीय वर्ष 2003-04 मे नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय /व्यय की स्वीकृति ।

----x---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5027/2 यात्रा- उत्तरांचल/2003 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा संलग्न सूची मे उल्लिखित आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 8 [आठ] कार्यो के आगणनो की टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 1996.86 लाख [रू0 उन्नीस करोड छियानवे लाख छियासी हजार मात्र [लाख. के आगणन की उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार प्रशासकीय / वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष मे संलग्न सूची के कालम-5 पर दिये गये विवरणानुसार रू0 40.00 लाख [रू0 चालीस लाख मात्र] की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. आगणन मे उल्लिखित दरो का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरो को जो दरे शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है,स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो / विशिष्टयो के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियो एवं अभवेत्ता के साथ अवश्य करा ले । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

8. आगणन मे जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है,उसी मद पर व्यय किया जाये,एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए ।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाये ।

10. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/ अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल/ वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणन पर प्रशासकीय वित्तीय अनुमोदन के साथ-2 विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। टैण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा ।

12. आगामी किश्त तब ही स्वीकृत की जायेगी जब इस स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उससे कृत कार्य की विशेष/ भौतिक प्रगति बताकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31-3-04 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।

13. इस कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003-04 मे अनुदान सं0 22 लेखाशीर्षक-5054 सडको तथा सेतुओ पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सडके-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-राज्य सैक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

14. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अ.शा. संख्या- 2128/वित्त अनुभाग-3/03 दिनांक 11 दिसम्बर,2003 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:- 8 कार्यों की सूची ।

भवदीय

(टी.के.पन्त)
उप सचिव ।

....क्रमश 3/-

संख्या- 2404 (1) लो.नि.2/2003 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल इलाहाबाद/ देहरादून ।
2. आयुक्त कुमाऊं मण्डल, नैनीताल ।
3. श्री एल.एम. पन्त अपर सचिव वित्त (बजट अनुभाग) उत्तरांचल शासन
4. मुख्य अभियन्ता स्तर-2 लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा ।
5. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी , अल्मोडा ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
7. निजी सचिव, मुख्य मंत्री जी को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ हेतु ।
8. अधीक्षण अभियन्ता,43 वाँ वृत्त,लो.नि.वि,अल्मोडा ।
9. वित्त अनुभाग-3 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन ।
10. लोक निर्माण अनुभाग-1 उत्तरांचल शासन ।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी.के.पन्त)
उप सचिव ।

शासनादेश संख्या- 2404 /लो• नि• 2/2003- 2 (मु• मं• घो•)/2003
दिनांक 15 दिसम्बर, 2003 का संलग्नक ।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रमसं0	कार्य का नाम	प्रस्तावित लागत	टी•ए•सी• द्वारा अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2003-04 में आवंटन
1	2	3	4	5
1-	हिनौला-काने खलपाटी मोटर मार्ग का नव निर्माण । (लम्बाई 21 किमी•)	364•26	364•26	7•00
2-	तराड़ी डभरा शशिखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 40•00 किमी•)	744•20	744•20	10•00
3-	धीमार भीताकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 18•00किमी•)	270•90	270•90	5•00
4-	नौकुचिया देवीखाल रणथमल मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 08किमी•)	111•20	111•20	4•00
5-	पीपना मन्हैत डंगुला मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 20•00 किमी•)	297•80	297•80	5•00
6-	सुतनिया -बैल-महरनेल-बाजन मोटर मार्ग का नव निर्माण । (ल•5•00किमी•)	69•50	69•50	3•00
7-	खूँट-काकड़ीघाट मोटर मार्ग का विस्तार लम्बाई 5•00 किमी•)	69•50	69•50	3•00
8-	भतरोजखान जीनापानी मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 5•00 किमी•)	69•50	69•50	3•00
	योग:-	1996•86	1996•86	40•00

(रू0 चालीस लाख मात्र)

(टी•के•पन्त)
उप सचिव ।